उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–4529 / दस–2006–14 / 1–2002
लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2006

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004) की धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1– (1) ये नियमावली उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006 कही जायेगी ।

(2) ये गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2– इन नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004) से है,
(2) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन नियमों में संलग्न किसी प्रपत्र से हैं,
(3) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम किसी धारा से है,
(4) "रिपोर्टिंग वर्ष" का तात्पर्य जिस वर्ष के लिये आय–व्ययक अनुमान राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जायें, उस वर्ष के पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष से है,
(5) ''शब्दों और पदों'' जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगें जो उनके लिए उस अधिनियम में दिये गये हैं ।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में कमी के वार्षिक लक्ष्य धारा, 4(3)(ख) (ग)

3– राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयास करेगी –

(1) वर्ष 2005–2006 से 2008–09 तक प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत की कमी लाना, ताकि वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा शून्य हो जाये ।

(2) वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2008–09 तक प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.77 प्रतिशत की कमी लाना ताकि वर्ष 2008–09 तक राजकोषीय घाटा प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम हो जाये ।

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण, धारा 7(2) (ख)

4– राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों सहित मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति विवरण प्रपत्र 'क' में होगा। इस विवरण में राजकोषीय नीति रणनीति तथा प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर में प्रवृत्ति का ब्यौरेवार विवरण भी होगा ।

राजकोषीय संकेतक धारा 7(2)(क)

5– (1) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण में निम्नलिखित राजकोषीय संकेतकों के सम्बन्ध में पाँच वर्षों के चल लक्ष्य ऐसे होंगें, जो प्रपत्र 'क' में दिये गये हैं, अर्थात्:–

(क) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राज्य का स्वयं का कर एवं करेतर राजस्व,

(ख) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा

(ग) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

(घ) प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार की कुल बकाया उधार ।

(2) उच्च प्राथमिकता विकास व्यय का विवरण मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में सम्मिलित किया जायेगा ।

(3) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में राजकोषीय नीति रणनीति विवरण एक पृथक खण्ड के रूप में दिया जायेगा । वार्षिक लक्ष्यों और बजट अनुमानों के सापेक्ष प्राप्तियों और व्यय के रूझानों के मूल्यांकन हेतु अंतःवार्षिक लक्ष्य भी इस खण्ड में होंगे ।

प्रकटन

6— (1) राज्य सरकार, लोक हित में अपनी राजकोषीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये आय—व्ययक प्रस्तुत करते समय, निम्नलिखित का प्रकट करेगी :—

(क) विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाले लेखामानकों, नीतियों और व्यवहारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ख) प्रपत्र ख—1 में राज्य के स्वयं के कर और करेतर राजस्व के अवशेषों का विवरण;

(ग) प्रपत्र ख—2 एवं ख—3 में राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों के सापेक्ष अतिदेयों का विवरण;

(घ) प्रपत्र ख—4 में प्रत्याभूतियों का विवरण;

(ड) प्रपत्र ख—5 में सार्वजनिक उपक्रमों में वित्तीय परिणामों का विवरण;

(च) वृहद् कार्यों एवं अनुबंधों के संबंध में दायित्वों एवं प्रतिबद्धताओं का विवरण प्रपत्र ख—6 में;

(छ) सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या एवं संबंधित वेतन का ब्यौरा देने वाले विवरण प्रपत्र ख—7 में;

(ज) सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या एवं संबंधित वेतन का ब्यौरा देने वाले विवरण प्रपत्र ख—8 में;

(झ) अनुदानित संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या एवं संबंधित वेतन का ब्यौरा देने वाले विवरण प्रपत्र ख—9 में;

(2) प्रपत्र ख—1,ख—2,ख—3,ख—4,ख—5,ख—6,ख—7,ख—8 एवं ख—9 में विवरण जिस वर्ष के लिये बजट अनुमान राज्य विधान—मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाये उससे पूर्ववर्ती दो वर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये जायेगें ।

अनुपालन न्पवर्तित करने के उपाय धारा 6(2)

7— वित्तीय वर्ष 2004—2005 से आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की छःमाही की समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रपत्र ''ग'' में प्राप्तियों और किये गये व्यय के रूखों की छःमाही समीक्षा के निष्कर्षों से यदि यह दर्शित होता हो कि—

(क) कुल गैर उधार प्राप्तियाँ उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के पच्चीस प्रतिशत से कम हैं, या

(ख) राजकोषीय घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के चालीस प्रतिशत से अधिक है, या

(ग) राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलन के चालीस प्रतिशत से अधिक है तो,

(एक) राज्य सरकार धारा–6 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित समुचित उपाय करेगी; और

(दो) धारा–6 की उपधारा(2) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री, प्रत्येक छःमाही की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् के सत्र के दौरान किये गये सुधारात्मक उपायों और उस वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे के लिये संभावनाओं का ब्यौरा देते हुए विधान–मण्डल में कथन करेगा।

आज्ञा से

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रपत्र–क
(नियम 4 देखें)

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण

क. राजकोषीय रूपरेखा

1. राज्य वित्त

मद	चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलन	आगामी वर्ष का लक्ष्य बजट प्राक्कलन	अगले तीन वर्षों के लिये लक्ष्य		
			वर्ष+1	वर्ष+2	वर्ष+3
1–राजस्व प्राप्तियाँ(2+3) 2–कर राजस्व 3–करेतर राजस्व 4–पूँजी प्राप्तियाँ(5+6) 5–ऋणों की वसूली 6–लोक ऋण 7–कुल प्राप्तियाँ(1+4) 8–राजस्व व्यय जिसमें 9–ब्याज संदाय 10–वेतन 11–वेतन के लिये सहायता अनुदान 12–पूंजी व्यय के लिए सहायता अनुदान 13–स्थानीय निकायों को समनुदेशन 14–अन्य सहायता अनुदान 15–पूँजी व्यय जिसमें 16–पूंजीगत परिव्यय 17–ऋण का प्रतिसंदाय 18–उधार और अग्रिम 19–कुल व्यय (8+15) 20–राजस्व घाटा (8–1) 21–राजकोषीय घाटा {(19–17)–(7–6–5)} 22–प्राथमिक घाटा (21–9)					
2– <u>राजकोषीय संकेतक</u>					
1.सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का स्वयं का कर राजस्व					
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व					
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा					
4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा					
5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल उधार एवं अन्य दायित्व					

ख. मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति निरूपणों में निहित पूर्व अनुमान –

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

आधार वर्ष को उल्लिखित करते हुए वृद्धि तथा चालू राजकोषीय वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्राक्कलनों को देते हुए, आगामी वर्षों के लिये पूर्व अनुमानित वृद्धिदर को स्पष्ट करना होगा।

2. राजस्व प्राप्तियाँ– इस पैरा के अधीन निम्न को स्पष्ट करना होगा –

(क) कर राजस्व :– सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के सापेक्ष राज्य करों में अपेक्षित वृद्धि दर तथा ऐसे विशेष उपायों का विवरण जिनके द्वारा कर राजस्व संवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो । कराधान संबंधी नीतियों को भी रेखांकित किया जाएगा।

(ख) करेतर राजस्व–लागत वसूली के सम्बन्ध में नीतिगत स्थिति

3. पूँजी प्राप्तियॉं–निम्नलिखित को निरूपित करने हेतु पूर्व अनुमानों तथा सम्बन्धित नीतिगत स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगाः–

(क) केन्द्र से ऋण एवं अग्रिम
(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ
(ग) बाजार ऋण
(घ) ऋण और अग्रिम की वसूली
(ड) वित्तीय संस्थाओं से ऋण
(च) अन्य प्राप्तियाँ (शुद्ध)
(छ) अन्य दायित्व

4. कुल व्यय– व्यय के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों को रेखांकित करते हुए निम्न को विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट किया जायेगा –

(क) राजस्व लेखा
(एक) ब्याज के संदाय
(दो) सहायता अनुदान
(तीन) वेतन
(चार) पेंशन
(पाँच) अन्य

(ख) पूँजी लेखा
(एक) ऋण और अग्रिम
(दो) पूँजी परिव्यय
(तीन) ऋणों का प्रतिदान

(ग) उच्च प्राथमिकता विकास व्यय – उच्च प्राथमिकता विकास व्यय के रूप में अभिज्ञानित व्यय के मदों की विभागवार और योजनावार सूची को सारिणीबद्ध प्रपत्र में संलग्न करना होगा । चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों के अतिरिक्त आगामी वर्ष और अगले तीन वर्ष के निरूपणों को उसी प्रकार देना जिस प्रकार अन्य राजकोषीय संकेतकों के चललक्ष्य के मामले में दिया जाता है । सरकार राजस्व में कमी होने बावजूद इन व्ययों में कटौती से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय करेगी ।

विभाग का नाम और अनुदान संख्या	योजना का नाम और कोड	चालू वर्ष का संशोधित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	अगले तीन वर्षों के लक्ष्य		
				वर्ष+1	वर्ष+2	वर्ष+3

(घ) निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण–

(एक) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन– मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिये अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चात्वर्ती चार वर्षों के लिये कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, स्वकर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। राजस्व प्राप्तियों का निर्धारण बनाई गयी नीतियों के अनुसार किया जायेगा। इसमें करेतर राजस्व और उससे संबद्ध–नीतियों पर विचार–विमर्श किया जायेगा। आयोजनागत और आयोजनेतर राजस्व लेखा व्यय भी संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर विचार–विमर्श किया जाएगा ।

(दो) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये बाजार उधार को सम्मिलित करते हुये पूँजी प्राप्तियों का उपयोग– मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में विभिन्न वर्गों के उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये पूँजी प्राप्तियों का प्रस्तावित उपयोग विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन वर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जाना होगा और सरकार की संपूर्ण नीति के निबंधनों के अनुसार विचार–विमर्श भी किया जा सकेगा।

(तीन) आगामी दस वर्षों के लिये बीमांकिक आधार पर पायी गयी प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व– यदि अधिनियम के पारित होने के तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं का आकलन करना सम्भव न हो, तो प्रथम तीन वर्ष की अवधि में, पेंशन में रूझान वृद्धि दर के आधार पर पूर्विकताएं निर्धारित की जायें। इस प्रयोजन के लिये, पिछले पाँच वर्षों की अवधि में पेंशन पर हुए वास्तविक व्यय में औसत वृद्धि दर को रूझान वृद्धि दर माना जायेगा।

(ड)राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(क) राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन– इस प्रस्तर में वर्तमान में प्रचलित राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति–इस प्रस्तर में अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित से संबंधित छः उपप्रस्तर होंगें–

(1) कर नीति

कर नीति से संबंधित उपप्रस्तर में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में पुरःस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख किया जायेगा। इसमें विभिन्न करों में छूट की सीमाओं तथा यह छूट विषयक सिद्धान्तों तथा लक्ष्य समूहों से कितना संबंधित है, का निर्धारण होगा ।

(2) व्यय नीति

व्यय नीति के अधीन व्यय के आवंटन में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन उपदर्शित किये जायेगें। इसमें हितधारियों के फायदे और लक्ष्य समूह विषयक सिद्धांतों का निर्धारण भी होगा। व्यय की प्राथमिकताओं से सम्बन्धित सिद्धान्तों का विवरण देते हुये "उच्च प्राथमिकता " वाले विकास व्यय चिहिन्त किये जायेगें।

(3) उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधान

उधारों से संबंधित इस उपप्रस्तर में आंतरिक ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट सुविधा, सरकार के उधार देने, विनिधान और अन्य क्रियाकलाप तथा औसत परिपक्वता संरचना, प्रतिसंदायों के समूह आदि के बारे में सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए, से संबंधित नीति उपदर्शित की जायेगी।

(4) आकस्मिक और अन्य दायित्व

आकस्मिक और अन्य दायित्वों और विशिष्टतया ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें संभाव्य बजट विवक्षाएं हों, पर नीति में कोई परिवर्तन उपदर्शित किया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता प्रभारों का अधिरोपण

सार्वजनिक सुविधाओं के प्रभार के अधिरोपण में प्रस्तावित किसी नीति परिवर्तन को उपदर्शित किया जायेगा।

(ग) – आगामी वर्ष के लिये योक्तिक पूर्विकतायें

1 कर, करेतर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिये संसाधन जुटाने का उल्लेख किया जायेगा।
2 आगामी वर्ष के दौरान व्यय प्रबन्ध में निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जायेगा।
3 आगामी वर्ष के दौरान प्रस्तावित लोक ऋण के प्रबंध से सम्बन्धित प्राथमिकतायें उपदर्शित की जायेंगी।

(घ) – नीतिगत परिवर्तनों के लिये युक्ति संगतताः

1 आगामी बजट में प्रस्तावित करों की बाबत मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण से संगत नीतिगत परिवर्तनों के लिये युक्तिसंगतता का उल्लेख किया जायेगा।
2 बजट व्यय जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान तथा पेंशन पर व्यय भी हैं, की बाबत मुख्य नीतिगत परिवर्तनों के लिये युक्तिसंगतता उपदर्शित की जायेगी।
3 लोक ऋण के प्रबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिये युक्तिसंगतता उपदर्शित की जायेगी।
4 सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रभार के सम्बन्ध में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिये आवश्यकता का उल्लेख किया जायेगा।

(ड) – नीति मूल्यांकनः

इस प्रस्तर में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में कमी और मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति विवरण में उपवर्णित उद्देश्यों के सन्दर्भ में आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का मूल्यांकन अंतर्विष्ट होगा।

(च) – सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास से सम्बन्धित विवरण

इस प्रस्तर में विकास दरों में रूझान का संक्षिप्त विश्लेषण अन्तर्विष्ट होगा । इसमें भूत एवं वर्तमान वृद्धि दरों के साथ–साथ भविष्य की सम्भाव्यताओं का उल्लेख करते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूझान का विश्लेषण भी अन्तर्विष्ट होगा ।

प्रपत्र ख–1
(नियम 6 देखें)

राज्य के बकाये स्वकर और करेतर राजस्व का विवरण

(लाख रूपयों में)

31 मार्च,.......................... को

क्रमांक	मद	रिपोर्टगत वर्ष की 01 अप्रैल को अवशेष राशि	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान वसूली गयी अथवा अपील में कम की गयी अथवा स्तम्भ (3) के विरूद्ध अपलिखित की गयी राशि	पुराने अवशेषों के सापेक्ष बकाया (3) - (4)	रिपोर्टगत वर्ष में समुत्थापित मांग
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

स्तम्भ(6) में प्रदर्शित राशि के विरूद्ध वसूल की गयी / अपील में कम की गयी / अपिलिखित की गयी राशि	स्तम्भ(6) में प्रदर्शित राशि के विरूद्ध वसूल किये जाने हेतु अवशेष राशि (6)-(7)	कुल मांग (3) + (6)	कुल वसूल की गयी/अपील में कम की गयी अथवा अपलिखित राशि (4) + (7)	रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति पर कुल अवशेष राशि (9) - (10)
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**

स्तम्भ–11 में दी गयी राशि से संबंधित विवरण				वसूली योग्य अवशेष राशि (11-15)
आस्थगित अथवा निलंबित राशि		सरकारी कार्यालयों के विरूद्ध अवशेष	अपलिखित की जाने वाली अवसूलनीय राशि	
न्यायालयों द्वारा	सरकार के आदेशों द्वारा			
(12)	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**

प्रपत्र ख–2

(नियम 6 देखें)

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों, जिनके लेखे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रखे जाते हैं, के विरूद्ध अतिदेयों का विवरण

(धनराशि लाख रूपयों में)

31 मार्च, ... को

क्रमांक	ऋणी संस्था / प्रायोजना / योजना	रिपोर्टगत वर्ष की 01 अप्रैल को अतिदेय		रिपोर्टगत वर्ष के दौरान समुत्थापित मांग	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

कुल ड्यू राशि		रिपोर्टगत वर्ष के दौरान वसूलियाँ		अतिदेय	
मूलधन (3)+(5)	ब्याज (4)+(6)	मूलधन	ब्याज	मूलधन (7)-(9)	ब्याज (8)-(10)
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**

प्रपत्र ख–3

(नियम 6 देखें)

राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों, जिनके लेखे विभागाध्यक्षों द्वारा रखे जाते हैं, के विरूद्ध अतिदेयों का विवरण

(धनराशि लाख रूपयों में)

31 मार्च, ... को

भाग–1 विभागवार सारांश

क्रमांक	विभाग	अतिदेय राशि रिपोर्टगत वर्ष की 01 अप्रैल को		स्तम्भ(3) एवं (4) में प्रदर्शित राशियों के विरूद्ध रिपोर्टगत वर्ष मे वसूल की गई धनराशि	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान समुत्थापित मांग		स्तम्भ(7) एवं (8) में प्रदर्शित राशियों के विरूद्ध वसूल की गयी राशि		रिपोर्टगत वर्ष के अन्त में अतिदेय धनराशि	
मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन (3)+(7)–[(5)+(9)]	ब्याज (4)+(8)–[(6)+(10)]
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**

भाग–II विभाग एवं योजनावार विवरण

(धनराशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग एवं योजना	अतिदेय राशि (रिपोर्टगत वर्ष के 01 अप्रैल को)		स्तम्भ (3) एवं (4) में प्रदर्शित अवशेषों के विरूद्ध रिपोर्टगत वर्ष के दौरान वसूली	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	विभाग				
	योजनाएं				
1.1	योजना का नाम				
1.2	योजना का नाम				
....	....				
	योग विभाग (1)				
2.	विभाग				
	योजनाएं				
2.1	योजना का नाम				
2.2	योजना का नाम				
.....	....				
	योग विभाग (2)				

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान समुत्थापित मांग		स्तम्भ(7) एवं (8) में प्रदर्शित राशियों के विरूद्ध वसूली गयी राशियां		रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति पर अतिदेय राशि	
मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन (3)+(7) - [(5)+(9)]	ब्याज (4)+(8) - [(6)+(10)]
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**

प्रपत्र – 4 ख

(नियम 6 देखें)

सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

(धनराशि लाखों में)

विभाग एवं संस्था	रिपोर्टगत वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि	रिपोर्टगत वर्ष प्रारम्भ में बकाया	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान स्वीकृत नई प्रत्याभूतियाँ	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान उन्मोचित प्रत्याभूतियों की धनराशि (वर्ष के दौरान मांगी गयी प्रत्याभूति से भिन्न)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान मांगी गयी गयी प्रत्याभूति की धनराशि		वर्ष की समाप्ति पर बकाया	प्रत्याभूति शुल्क		अभ्युक्ति
उन्मोचित	अनुन्मोचित	(4)+(5)–[(6)+(7)]	प्राप्य	प्राप्त किया गया	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्रपत्र ख–5
(नियम 6 देखें)

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	विभाग	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	निगमित होने की तिथि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**

लेखों की अवधि	चुकता पूंजी	शुद्ध लाभ(+)/हानि(–)	संचित लाभ(+)/हानि(–)
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**

प्रपत्र ख–6
(नियम 6 देखें)

वृहद कार्यों एवं संविदाओं से संबंधित सरकार का दायित्व जहां राज्य सरकार की कुल देयता अथवा प्रतिबद्धता रूपये 100 करोड़ अथवा अधिक हो

(धनराशि लाख रूपयों में)

विभाग	कार्य / संविदा का विवरण	कार्य/संविदा के प्रारम्भ एवं समाप्त होने की सम्भावित तिथियां	राज्य सरकार का कुल दायित्व	31 मार्च .... को राज्य सरकार का कुल दायित्व
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
योग				

प्रपत्र ख–7

(नियम 6 देखें)

.... को सरकारी कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या		
		राजपत्रित	अराजपत्रित	योग
1	2	4	5	6
	योग			

टिप्पणी – वेतन और भत्तों पर व्यय का विवरण इस प्रपत्र के संलग्नक में दिया गया है ।

प्रपत्र ख–7 का संलग्नक

सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय का विवरण

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	अनुदान संख्या/विभाग	वेतन और भत्तों पर व्यय
1		मूल वेतन .... महंगाई भत्ता .... अन्य भत्ते .... योग ....
2		
3		
4		
	योग –	मूल वेतन .... महंगाई भत्ता .... अन्य भत्ते .... योग ....

प्रपत्र ख–8

(नियम 6 देखें)

.... को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	प्रशासकीय विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान वेतन और भत्तों पर किया गया व्यय (लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5
1	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का योग		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का योग		
2				
महायोग				

प्रपत्र ख–9

(नियम 6 देखें)

.... को सहायतित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	प्रशासकीय विभाग	सहायतित संस्थाओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय (लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5
महायोग				

प्रपत्र ग
(नियम 7 देखें)
अर्धवार्षिक समीक्षा

वर्ष .... छमाही(प्रथम / द्वितीय) ....

(रूपये करोड़ में)

मद	बजट अनुमान	रूझानों के अनुसार अपेक्षित स्थिति /1	वास्तविक स्थिति	अपेक्षित स्तर के प्रतिशत के रूप में वास्तविक आँकड़े /2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(अ) गैर उधार प्राप्तियॉ 1 राज्य का स्वयं का कर 2 करेतर राजस्व 3 केन्द्रीय करों में राज्यांश 4 केन्द्र सरकार से अनुदान				
5 कुल राजस्व प्राप्तियॉ				
6 उधार एवं अग्रिम की वसूली				
7 कुल गैर उधार प्राप्तियाँ				
(ब) व्यय				
8 राजस्व व्यय				
9 पूंजीगत परिव्यय				
10 उधार एवं अग्रिम				
11 कुल व्यय				
(स) राजस्व घाटा/3				
(द) राजकोषीय घाटा/3				

टिप्पणी–

1. पहली छमाही प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित स्तर का निर्धारण गत तीन वर्षों में बजट अनुमानों के सापेक्ष रूझानों तथा रिपोर्टगत वर्ष में रूझानों के आधार पर किया जायेगा।
2. प्रथम छमाही की समीक्षा हेतु ये प्रतिशत स्तम्भ (3) के सापेक्ष तथा द्वितीय छमाही हेतु स्तम्भ (2) के सापेक्ष आकलित किये जायेंगे और द्वितीय छमाही की समीक्षा के समय स्तम्भ (3) को रिक्त छोड़ दिया जायेगा।
3. वर्ष के द्वितीय छःमाही के लिए राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे की रिपोर्ट दी जाएगी।